"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2013—पौष 27, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 488/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 4 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

   (2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "परन्तु यह भी कि माल वाहन, प्रक्रम वाहन अथवा संविदा वाहन, यथास्थिति, के संबंध में जहां वाहन मालिक, तीन माह से अधिक के लिए एकमुश्त कर जमा करता है तो उसे उद्ग्रहणीय कर पर ऐसी अवधि के लिए एवं उस दर पर छूट की पात्रता होगी जैसा कि प्रथम अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट है."

धारा 16-क का अन्तःस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "16-क. **कराधान प्राधिकारी के समक्ष परिवहन यान को प्रस्तुत करने की शक्ति.**—कराधान प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जाने पर परिवहन यान का स्वामी सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत की वातानुकूलित इकाई का प्रतिष्ठापन, फर्श क्षेत्र एवं भार के भौतिक सत्यापन हेतु या लोक सेवा यान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, पर्यटक यान, शयनयान, अर्द्ध-शयनयान एवं माल यान सुनिश्चित करने अथवा कोई भी आधारभूत जानकारी जो कर के निर्धारण एवं गणना के लिए आवश्यक हो, के लिए वाहन को प्रस्तुत करेगा."

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(छ-1) शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के रूप में संचालन के लिए अनुज्ञात वाहन हेतु, ऐसे वाहन पर कर की दर निम्नानुसार होगी—

(एक)	डीलक्स शयनयान/डीलक्स अर्द्ध-शयनयान.	कर ऐसी दरों पर प्रभारित होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ड.), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में डीलक्स सेवा/एक्सप्रेस सेवा के लिए निर्धारित है.
(दो)	ऊपर (एक) में उल्लिखित यान से भिन्न शयनयान/अर्द्ध-शयनयान.	कर ऐसी दरों पर प्रभारित होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ड.), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में साधारण सेवा के लिए निर्धारित है.

(ज) मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब से भिन्न लोक सेवा यान में किराये अथवा पारितोषण पर यात्रियों को ले जाने के लिए सीट एवं/अथवा शयन का अनधिकृत प्रतिष्ठापन—

(क)	लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत सीट हो.	रु. 3,000 (रुपये तीन हजार) प्रति अनधिकृत सीट प्रति माह.
(ख)	लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत शयन हो.	रु. 6,000 (रुपये छः हजार) प्रति अनधिकृत शयन प्रति माह.

परन्तु जहां अनधिकृत सीट अथवा/और अनधिकृत शयन के साथ कोई लोक सेवा यान पाया जाता है, तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर, कर की गणना उस अवधि से की जाएगी जो चालू उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के जारी होने के दिनांक से संगणित हो:

परन्तु यह और कि खण्ड (ज) के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान का स्वामी, दो बार अपराध के लिए दण्डित होता है और तीसरी बार ऐसा अपराध करता है, तो संबंधित कराधान प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा वाहन को निरूद्ध किया जाएगा और किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस लाईन अथवा परिवहन चेक-पोस्ट पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा एवं कराधान प्राधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी चौबीस घंटे के भीतर ऐसा प्रकरण पंजीयन प्राधिकारी को मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 53 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र को निलम्बित करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा."

5. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के स्पष्टीकरण (9) एवं (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण (9)**— लोक सेवा यान के संबंध में सीट से अभिप्राय ऐसी एक सीट जो ऐसे पंजीकृत वाहन के वर्गीकरण के अनुज्ञात ब्यौरों के अनुसार है और ऐसे वाहन में प्रत्येक अनुज्ञात शायिका को दो सीट के बराबर इस अनुसूची के अंतर्गत कर की गणना के लिए माना जाएगा.

स्पष्टीकरण (10)— इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान के कर की गणना के उद्देश्य से, सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत की वातानुकूलित इकाई के प्रतिष्ठापन का भौतिक सत्यापन अथवा लोक सेवा यान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेम, पर्यटक यान, शयनयान, अर्द्ध-शयनयान एवं मालयान या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कर की गणना करने के लिए आवश्यक हो, का निर्धारण, इस अधिनियम के अंतर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसे कार्यालयीन अभिलेख, पंजीयन प्रमाण-पत्र, कर प्रमाण-पत्र एवं कर टोकन में इन्द्राज किया जाएगा और इसे कराधान प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा."

6. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **नवीन अनुसूची का अन्तःस्थापन.**

प्रथम अनुसूची-क

[धारा 5 (1) के चतुर्थ परन्तुक देखिए]

स. क्र.	मोटरयान की श्रेणी	कर भुगतान की अवधि	उद्ग्रहीत कर पर छूट की दर
1.	मालयान	(क) दो तिमाहियों के लिए	2 प्रतिशत
		(ख) तीन तिमाहियों के लिए	3 प्रतिशत
		(ग) चार तिमाहियों के लिए	4 प्रतिशत
2.	प्रक्रम वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत
3.	संविदा वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
"7. तिपहिया ऑटो-रिक्शा से भिन्न मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब.	यान की कीमत का 7 प्रतिशत"

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्रमांक 488/डी. 15/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2013)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

   (2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

Amendment of Section 5.

2. After the third proviso of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided also that in respect of goods vehicle, Stage Carriage or a Contract Carriage, as the case may be, where the owner pays tax for more than three months in lump-sump, he shall be entitled for a rebate on the tax leviable for the period and at the rate as specified in the FIRST SCHEDULE-A."

Insertion of Section 16-A.

3. After Section 16 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

   "16-A. **Power to produce Transport Vehicle before the Taxation Authority.—** Owner of a transport vehicle on being so required by the Taxation Authority or any officer authorized in this behalf by the State Government, shall produce the vehicle for the physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, installation of operational Air-condition unit, floor space and weight or ascertaining class of public service vehicle i.e. ordinary, express, tourist vehicle, sleeper coach, semi-sleeper coach and goods vehicle or any basic information necessary for assessment and calculation of tax."

Amendment of First Schedule.

4. After clause (g) of serial number IV of First Schedule of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

   "(g-1) Vehicle permitted to operate as sleeper coach/semi-sleeper coach, the rate of tax on such vehicle shall be as under—

(i)	Deluxe sleeper coach/ Deluxe semi-sleeper coach.	tax shall be charged, which is fixed for Deluxe services/Express services in the respective category, as the case may be, in clause (d), (e), (f) and (g) above.
(ii)	Sleeper coach/ semi-sleeper coach, other than the coach mentioned in (i) above.	tax shall be charged, which is fixed for ordinary services in the respetive category, as the case may be, in clause (d), (e), (f) and (g) above.

   (h) Un-authorize installation of seats and/or berths in a public service vehicle other than motor-cab or maxi-cab for carrying passengers for hire or reward—

(a)	Public service vehicle with unauthorized seats.	Rs. 3,000 (Rs. Three Thousand) per unauthorized seat per month.

(b)	Public service vehicle with unauthorized berths.	Rs. 6,000 (Rs. Six Thousand) per unauthorized berth per month.

Provided that where a public service vehicle is found with unauthorized seats or/and unauthorized berth (s), the tax shall be calculated on each such occasion for the period from the date of issue of current certificate of fitness:

Provided further that where the owner of a public service vehicle is penalized twice for the offence under clause (h), on committing such offence for third time, the vehicle shall be detained by the Taxation Authority/ Prescribed Authority concerned and kept in safe custody at a nearest Police Station/Police Line or Transport Checkpost and the Taxation Authority or Prescribed Authority shall forward such case within twenty four hours to the Registering Authority for the suspension of Registration Certificate under Section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), for appropriate action."

5. For Explanation (9) and (10) of serial number IV of First Schedule of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"**Explanation (9).**— Seat in respect of a public service vehicle means a seat according to the specifications permitted for the classification of such registered vehicle and each berth permitted in such vehicle shall be regarded equal to two seats for the calculation of tax under this Schedule.

Explanation (10).— For the purpose of calculation of tax of any public service vehicle under this Act, the physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, installation of operational Air-condition unit or ascertaining class of public service vehicle i.e. Ordinary, Express, Tourist Vehicle, Sleeper Coach, Semi-Sleeper Coach and Goods Vehicle or any vital information necessary for calculation of tax, shall be done by the Taxation Authoriry under this Act and under Motor Vehicles Act, 1988 and shall be entered in the office record, certificate of registration, tax certificate and tax token and it shall be verified from time to time by the Taxation Authority or officers authorized by the State Government in this behalf under Section 16 of this Act."

Inscrrtion of new Schedule.

6. After FIRST SCHEDULE of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

FIRST SCHEDULE-A

[See fourth proviso to Section 5 (1)]

S. No. (1)	Class of Motor Vehicle (2)	Period of Tax payment (3)	Rate of rebate on the Tax leviable (4)
1.	Goods Vehicle	(a) For Two Quarters	2%
		(b) For Three Quarters	3%
		(c) For Four Quarters	4%
2.	Stage Carriage	For Three Months	4%
3.	Contract Carriage	For Three Months	4%

7. After serial number 6 of Part-I of SECOND SCHEDULE to the Principal Act, the following shall be added, nanely :— **Amendment of Second Schedule.**

	Description of Motor Vehicles (1)	Rate of life time tax (2)
"7.	Motor-cab or Maxi-cab other than auto-rickshaw three wheeler.	7% of the cost of vehicle"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.